मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 3–15/2013/26–2 भोपाल, दिनांक 28/06/2013

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्य प्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
   सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगर पालिका/नगर परिषद, मध्य प्रदेश

विषयः–निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना–2008 (संशोधित योजना – 2013) के कियान्वयन के संबंध में ।
संदर्भः–म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग का ज्ञापन कमांक/एफ–3–42/2008/26–2 भोपाल, दिनांक 12.08.2008 एवं कमांक/एफ–3–38/2010/26–2 भोपाल, दिनांक 21.09.2008

—0—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारी संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानानुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने के उद्देश्य से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना–2008 प्रदेश संचालित है ।

राज्य शासन द्वारा **"संकल्प–37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम"** के अंतर्गत अवयवों का युक्तियुक्तकरण एवं प्रकियाओं का सरलीकरण किया जाकर **निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना–2008 (संशोधित योजना–2013)** की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

कृपया संशोधित योजना–2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करने की कार्यवाही अविलंब की जाये ।

संलग्नः–निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना–2008 (संशोधित योजना–2013)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
28/6/13
(श्रीमती एस.खण्डाते)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3–15/2013/26–2 भोपाल, दिनांक 28/06/2013

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव भोपाल
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल
4. समस्त विभागाध्यक्ष, म0प्र0 भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/6/13

(श्रीमती एस0खण्डाते)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

गोपाल भार्गव
मंत्री, सामाजिक न्याय,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना–2008

(संशोधित योजना वर्ष 2013)

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग

अनुक्रमणिका

क्र0	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पात्रता के मापदण्ड	01
2	अन्य शर्ते	01—02
3	सहायता राशि	03
4	स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी	03
5	बजटीय प्रावधान एवं राशि आहरण	04
6	राशि का वितरण	04
7	उपयोगिता प्रमाण पत्र	05
8	आवेदन की प्रक्रिया	05
9	आवेदन पत्र के आवश्यक दस्तावेज	05
10	आडिट	06
11	अभिलेखों का संधारण	06
12	समीक्षा	07
13	आवेदन पत्र	07—10

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3–42/2008/26–2, दिनांक 12–8–2008 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम 1997 के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये है।

1– पात्रता के मापदण्ड

1.1 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा–2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40% या उससे अधिक निःशक्तता हो।

1.2 मध्यप्रदेश का निवासी हो।

1.3 न्यूनतम आयु– आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।

1.4 विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।

1.5 आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।

स्पष्टीकरण :– राष्ट्रीय न्यास (National trust) अंतर्गत प्रदायित वैद्यानिक संरक्षकता (Legal Guardianship) प्रमाण पत्र के आधार पर वैद्यानिक संरक्षकता (Legal Guardianship) द्वारा ऐसे मानसिक निःशक्त व्यक्ति जिन्हें चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा "विवाह हेतु योग्य" का प्रमाण पत्र दिया गया है, के आधार पर विवाह हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

2– अन्य शर्तें

2.1 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता उनके पूरे जीवनकाल में एक बार दी जावेगी । विधवा/परित्यक्ता/विधुर होने की स्थिति में पूर्व सहायता प्राप्त कर लेने की स्थिति में पुनः उसे पात्रता नहीं आवेगी ।

2.2 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत निःशक्तता होना आवश्यक है जो दंपत्ति (पति/पत्नी में से कोई एक निःशक्त है वही आवेदन कर सकेगा। दोनों के निःशक्त होने की स्थिति में संयुक्त रुप से आवेदन करना होगा । विवाह की पुष्टि हेतु विवाह अधिनियम 1954 के तहत बनाये गये नियम 2008 के तहत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति–रिवाज एवं विधि पूर्वक संपन्न हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र अभिकथन/शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

2.3 निःशक्त दंपत्ति (पति/पत्नी) यदि दोनों संयुक्त रुप से आवेदन करते है तो पति के मूल निवास का स्थान जहां उसका स्थाई पता, भवन, परिसंपत्ति, भूमि आदि की पुष्टि की जाकर पति/पत्नी को एक स्थान पर यथा पति के मूल निवास जिले में लाभ दिया जायेगा । यही व्यवस्था यदि पति विकलांग है और पत्नी का निवास स्थान पति से भिन्न है तो पत्नी आवेदक के रुप में जिस जिले की वह मूल निवासी है वहां उसको आवेदन करना होगा ।

2.4 निःशक्त विवाह करने के पूर्व निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त के लिए उसी प्रकार आवेदन करना होगा जिस प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के लिए आवेदन करना होगा। निःशक्त दंपत्ति में से कोई आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने के तीन माह की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा । अन्यथा निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी ।

2.5 स्वीकृत सहायता निःशक्त व्यक्ति के विवाह विच्छेद अथवा विवाह विघटन 5 वर्ष के पूर्व होता है तो विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि शासन को वापस करना होगी। आवेदक द्वारा राशि वापस नहीं किये जाने की स्थिति में भू–राजस्व की बकाया की तरह सहायता राशि वसूली के योग्य होगी।

3– सहायता राशि

3.1 युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर राशि रू0 25,000/– प्रोत्साहन राशि।

3.2 युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने पर प्रत्येक को संयुक्त रुप से रु0 50,000/– प्रोत्साहन राशि।

4– स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकारी

जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय

सेवाएं	अनुशंसा करने वाले अधिकारी	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	अपील के निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम	अपील के निराकरण की समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	**ग्रामीण क्षेत्र में** जनपद पंचायत **नगरीय क्षेत्र में** नगर निगम, नगर पालिका	15 कार्य दिवस	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय	7 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस

उक्त समय सीमा संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों से प्रारम्भ होगी।

5– बजटीय प्रावधान एवं राशि आहरण

योजनांतर्गत निःशक्त हितग्राहियों को विवाह प्रोत्साहन हेतु सहायता राशि जिले की निराश्रित निधि से व्यय की जावेगी । निराश्रित निधि से राशि व्यय के अधिकार जिले के कलेक्टर को होंगे । इस हेतु प्रतिवर्ष निराश्रित निधि के बजट में प्रावधान कराना होगा ।

6– राशि का वितरण

1. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन की राशि स्वीकृति के पश्चात हितग्राही के बैंक खाते में ई–बैंकिंग/अकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

2. जिन हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा रही है उसकी स्वीकृति की सूचना एवं जानकारी मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दी जायेगी । यदि कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना अंतर्गत विवाह करती है तो उसको योजना के अन्य मापदण्डों के तहत प्राथमिकता से सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

3. **विवाह प्रोत्साहन की राशि किसी भी रूप में नगद नहीं दी जावेगी।**

7– उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

जिले के कलेक्टर को इस प्रयोजन हेतु निराश्रित निधि से व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त, सामाजिक न्याय म0प्र0 भोपाल को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाये।

8– आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों के कार्यालयों/संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय तथा विभाग की बेवपोर्टल http://www.socialjustice.mp.gov.in/ , http://www.sssm.nic.in/, http://socialsecurity.mp.gov.in/ में उपलब्ध रहेगें। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय अथवा जनपद पंचायत, नगरीय निकायों में जमा किये जायेंगे। ऐसे ग्रामीण निकाय/नगरीय निकाय को जो आवेदन पत्र प्राप्त होंगे वे अनुशंसा के साथ संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय को स्वीकृति के लिये 15 दिन के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।

9– आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना होंगे

9.1 सक्षम चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र,

9.2 निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

9.3 विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिसमें विवाह धार्मिक रीति एवं सामाजिक रीति से किये गये विवाह का कोर्ट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा – माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, महापोर, अध्यक्ष नगर पालिका/नगर निगम, सरपंच, राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

9.4 आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के दो–दो फोटो (दम्पती के) ।

9.5 आवेदक/आवेदिका द्वारा परिशिष्ट–1 में विहित प्राधिकारी का रू0 100/– का स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र जो की मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।

10– आडिट

निराश्रित निधि से व्यय की गई राशि का प्रतिवर्ष आडिट कराया जाये, जिसमें निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत व्यय की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा ।

11– अभिलेखों का संधारण

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय कार्यालय में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता की एक पंजी संधारित की जाये, तथा कम्प्यूटर पर एवं विभाग की पोर्टल http://www.socialjustice.mp.gov.in/, http://www.sssm.nic.in/, http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर डाटा अपलोड किया जायेगा, जो कि 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। क्योकि 5 वर्ष की अवधि के पूर्व विवाह विच्छेद होने पर स्वीकृत की गई सहायता राशि आवेदक को वापस करनी होगी।

12– समीक्षा

निराश्रित निधि अधिनियम 1970 के अंतर्गत गठित सक्षम समितियॉ एवं जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी एवं उसके परिणामों से आयुक्त, सामाजिक न्याय को अवगत कराया जावेगा ।

–0–

परिशिष्ट–(1)

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

निःशुल्क

निःशक्त दंपत्ति का संयुक्त फोटो

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय, जिला ––––––––
   द्वारा
2. आयुक्त
   नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.................................
   जिला ....
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत..................
   जिला ....

विषयः– निःशक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र ।

–0–

भाग–अ
आवेदक के उपयोग हेतु

आवेदक का समग्र कोड कमांक | | | | | | | | |

आवेदक का आधार कार्ड कमांक | | | | | | | | | | | | |

आवेदक का बीपीएल कार्ड कमांक (यदि हो तो) | | | | | | |

1. आवेदक का नाम ....
2. आवेदक के पिता/अभिभावक का नाम ....
3. आवेदक की माता का नाम ....
4. निवास का पता ....
5. आवेदक की जन्म तिथि – दिनांक [ ] माह [ ] वर्ष [ ]

6. आवेदक के विवाह के समय आयु

7. जाति / वर्ग(अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / सामान्य)

8. आवेदक की वार्षिक आय .....
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)

9. विवाह का स्थान ..... विवाह का दिनांक .....

10. विवाह किस रीति से संपन्न हुआ ..... (प्रमाण पत्र / शपथ पत्र)

11. निःशक्तता की श्रेणी ..... अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित / मंदबुद्धि एवं निःशक्ता का प्रतिशत (चिकित्सक का प्रमाण पत्र)

12. आवेदक का बचत खाता

आवेदक (खाताधारक) का नाम	बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

<u>आवेदिका के उपयोग हेतु</u>

भाग–ब

आवेदिका का समग्र कोड क्रमांक

आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदिका का बीपीएल कार्ड क्रमांक (यदि हो तो)

1. आवेदिका का नाम .....

2. आवेदिका के पिता / अभिभावक का नाम .....

3. आवेदका की माता का नाम .....

4. निवास का पता .....

5. आवेदिका की जन्म तिथि .. दिनांक [ ] माह [ ] वर्ष [ ]

6. आवेदिका के विवाह के समय आयु [ ]
7. जाति / वर्ग(अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / सामान्य) [ ]

8. आवेदिका की वार्षिक आय .....
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9. विवाह का स्थान ..... विवाह का दिनांक .....

10. विवाह किस रीति से संपन्न हुआ ..... (प्रमाण पत्र / शपथ पत्र)
11. निःशक्तता की श्रेणी ..... अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित / मंदबुद्धि एवं निःशक्ता का प्रतिशत (चिकित्सक का प्रमाण पत्र)
12. आवेदक का बचत खाता

आवेदिका (खाताधारक) का नाम	बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदिका के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

<u>नोट</u> :–

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रुप से संलग्न किये जाये :–

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
2. चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
3. आयकरदाता न होने का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
4. आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
5. निःशक्त दंपत्ति का संयुक्त दो पासपोर्ट साइज फोटो.
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
7. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति.

अभिकथन (रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम सत्य निष्ठा से यह वचन देते है कि

1. यह कि मैं/हम निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 में वर्णित निःशक्तता की श्रेणी और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता रखते हैं जिसके लिये सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
2. यह कि हमने धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/न्यायालय के समक्ष दिनांक .....को विवाह किया है।
3. यह कि हम दम्पत्ति आयकरदाता नहीं हैं।
4. यह कि हम दम्पत्ति का अन्य कोई विवाहित पति/पत्नी नहीं है और न ही हमने पूर्व में इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त की है।
5. यह कि हमारे ऊपर किसी तरह का अपराधिक/महिला उत्पीड़न का वाद नहीं चल रहा है।
6. यह कि हम यह भी कथन करते हैं कि निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि हम दम्पत्ति 5 साल की अवधि के पूर्व विवाह विच्छेद होता है या विवाह सम्बन्ध टूटता है तो शासन द्वारा स्वीकृत की गई राशि निराश्रित निधि के खाते में जमा करेंगे। यदि यह राशि हम जमा नहीं करते हैं तो शासन भू–राजस्व के तहत राशि वसूल कर सकता है।
7. यह कि हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सही है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

पति के हस्ताक्षर	पत्नी के हस्ताक्षर .....
नाम एवं पूर्ण पता	नाम एवं पूर्ण पता